निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 535) पटना, मंगलवार, 5 मई 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 अप्रील 2015

सं0 वि०स०वि०-12/2015-2056/वि०स० ।—''श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक, 2015'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 21 अप्रील, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विघान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी
(अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक, 2015

[वि०स०वि०-10/2015]

प्रस्तावना।—श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के अधिग्रहण, अन्तरण तथा उत्तम प्रबंधन और विकास हेतु और इससे संबंधित और आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध का प्रावधान करने के लिए विधेयक।

भारत—गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ।** — (1) यह अधिनियम श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा पुस्तकालय, पटना तक होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ**।— इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के संबंध में ''अधिभोगी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, न्यास जिसका नियत तिथि के तुरन्त पहले अनुसूचित संस्थान के प्रबंध और प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था।

(ख) ''अनुसूचित संस्थान'' से अभिप्रेत है, श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय), पटना अवस्थित डाकघर, जी0पी0ओ0, पटना एवं थाना—कोतवाली, जिला—पटना और इसमें निम्नलिखित शामिल हैः—

(i) अनुसूचित संस्थान से सम्बंधित सभी चल—अचल सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन (नींव अधिसंरचना और छत भी शामिल है) उपस्कर, पुस्तकें, पत्र—पत्रिकाएं तथा अन्य साज—सामान शामिल हैं;

(ii) अनुसूचित संस्थान की सभी उपलब्ध नगद और बैंक—जमा, सावधि जमा राशि, सुरक्षित निधि तथा अन्य जमा राशि आदि;

(iii) अनुसूचित संस्थान के प्रयोजनार्थ न्यास द्वारा धारित अथवा अधिकृत स्टाफ क्वार्टर सहित सभी भूमि और भवन;

(iv) अनुसूचित संस्थान से सबंद्ध सभी लेखापुस्त, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज अथवा उसमें पूर्व विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्तियाँ।

(ग) ''करार—बिलेख'' से अभिप्रेत है अनुसूचित संस्थान के न्यासी तथा राज्य सरकार के बीच दिनांक 24 नवम्बर 1955 (चौबीस नवम्बर उन्नीस सौ पचपन) को निष्पादित करार;

(घ) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है अनुसूचित संस्थान के वैसे कर्मचारी, जिनके नाम अनुसूचित संस्थान के वेतन भुगतान पंजी में हैं;

(ङ) 'निदेशक' से अभिप्रेत है पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना का निदेशक;

(च) 'न्यास' से अभिप्रेत है न्यास—विलेख को श्री सच्चिदानन्द सिन्हा सुपुत्र बख्शी रामयाद सिन्हा द्वारा 10 मार्च 1926 को निष्पादित श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना न्यास—विलेख;

(छ) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के, प्रारंभ होने की तिथि;

(ज) 'पट्टा' से अभिप्रेत है अनुसूचित संस्थान के न्यासी एवं जिला पदाधिकारी, पटना के बीच दिनांक 05 अगस्त 1926 को 2.28 एकड़ (लगभग) भूमि के लिए पट्टा विलेख जिसमें अनुसूचित संस्थान के भवन, कर्मचारी आवास एवं चाहरदिवारी के भीतर खाली भूमि अवस्थित है;

(झ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा विहित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(ञ) 'विहित नियमावली' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा—11 के अधीन बनायी गयी नियमावली;

(ट) 'अध्यक्ष' बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार, बिहार, पटना से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008, समय—समय पर यथा संशोधित, के अधीन गठित प्राधिकार का अध्यक्ष;

(ठ) 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम, 2008 के अधीन गठित प्राधिकार;

(ड) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार।

3. **नियत तिथि को निहित होना।**— (1) श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना का अधिकार, हक और हित अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से राज्य सरकार में अन्तरित तथा निहित हो जाएगा।

(2) सभी ऐसी आस्तियाँ, अधिकार, पट्टाधृति शक्तियाँ, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा भूमि, भवन, भण्डार, उपकरण, उपस्कर, नकद, शेष हाथ नकदी, सुरक्षित निधि, विनिवेश और बही ऋण सहित सभी चल एवं अचल सम्पत्ति

तथा ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्‌भूत सभी अधिकार और हित तथा उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, जो नियत तारीख के तुरंत पहले भारत के भीतर या बाहर अनुसूचित संस्थान के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रण में थे; अनुसूचित संस्थान में शामिल समझे जायेंगे।

(3) इस धारा की उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात से यथास्थिति, राज्य सरकार से निष्चित तिथि को अनुसूचित संस्थान से संबंधित किसी ऋण, बंधक, कर्ज या अन्य अवभारों या धारणाधिकार (लियन), न्यास या अन्य सम्पत्तियों के मोचन के लिए किसी रकम के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जायगी।

4. निहित हो जाने के कतिपय परिणाम।– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख से–

(1) अनुसूचित संस्थान के समापन अथवा परिनिर्धारण संबंधी कोई भी कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं चलाई जाएगी या जारी नहीं रहेगी।

(2) करार–विलेख, न्यास–विलेख एवं पट्टा–विलेख के सभी उपबंध और अनुसूचित संस्थान से सम्बंधित सभी समितियाँ एवं उप–समितियाँ इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से निरस्त और विघटित समझी जायेंगी।

(3) अनुसूचित संस्थान में पदधारण करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी या कर्मचारी राज्य सरकार को अन्तरित हो गया समझा जायेगा तथा वे राज्य सरकार के द्वारा यथा अवधारित पद नाम से राज्य सरकार का पदाधिकारी या कर्मचारी हो जायेगा। उनका पदनाम, पदावधि, पारिश्रमिक और सेवाशर्ते जब तक राज्य सरकार उसमें परिवर्त्तन न करें, वही होगी जो अनुसूचित संस्थान के राज्य सरकार में निहित होने के समय थी; जब तक कि राज्य सरकार उनके पदावधि, पारिश्रमिक एवं सेवाशर्त परिवर्तित न कर दें। पदधारण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी या कर्मचारी के संबंध मे, उनकी नियुक्ति की वैधता इत्यादि का जाँच राज्य सरकार शिक्षा विभाग अथवा बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार के माध्यम से करा सकेगी एवं जाँच में प्राप्त तथ्य एवं अनुशंसा के आलोक में यथोचित कार्यवाई कर सकेगी।

5. कब्जा देने विषयक कर्त्तव्य।– (1) धारा–3 के अधीन बिहार राज्य में अनुसूचित संस्थान के निहित हो जाने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या अधिरक्षा या नियंत्रण में अनुसूचित संस्थान से संबंधित सम्पत्ति या आस्तियाँ, लेखा–पुस्त, सेवा–पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज हों, उन्हें तुरन्त बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार के निदेशक अथवा प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को दे देगा।

(2) निदेशक ऐसी किसी सम्पत्ति या आस्तियों, लेखा–पुस्त, रजिस्टर या दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा तथा यथावश्यक बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार को कब्जा–परिदान, राज्य सरकार को कब्जा–परिदान के बराबर होगा।

(4) पूर्ववर्त्ती उपधाराओं के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई सम्पत्ति या आस्तियों, लेखा–पुस्त, रजिस्टर या दस्तावेज विहित प्राधिकार को देने हेतु दायी होगा, जिसे वह प्राधिकार को नहीं दिया हो।

6. ब्योरा देने विषयक कर्त्तव्य।– अनुसूचित संस्थान का अधिभोगी नियत तिथि के तुरन्त बाद, प्राधिकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अनुसूचित संस्थान के प्रतिभूति पर, नियत तिथि को, विद्यमान सभी दायित्वों एवं बाध्यताओं का तथा अनुसूचित संस्थान से संबंधित सभी करार–पत्रों और अन्य लिखतों का, करार की डिग्री अधिनिर्णय (अवार्ड), स्थायी आदेश और अनुसूचित संस्थान से नियोजित किसी व्यक्ति की छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्यनिधि और अन्य सेवाशर्तो से संबंधित अन्य लिखतों सहित, व्यय का पूर्ण ब्योरा देगा।

7. अधिग्रहण के लिए दी जाने वाली रकम।–राज्य सरकार अनुसूचित संस्थान तथा उसके अधिकार, हक और हित के अधिग्रहण के लिए किसी प्रकार के मुआवजा का भुगतान का प्रश्न उपस्थित होने पर दावे के जाँचोपरान्त अधिक से अधिक एक रूपये मात्र दे सकेगी :

परंतु राज्य सरकार को अधिकार होगा कि अनुसूचित संस्थान की वित्तीय स्थिति को समुचित रुप से अंकेक्षित कराकर संस्थान के अवैतनिक सचिव से या किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी आदि से जिसके संबंध में अंकेक्षण द्वारा यह पाया जाए कि उसने किसी राशि का दुर्विनियोग किया है, दुर्विनियोग की गयी रकम वसूल कर ले।

8. कृत्य, शक्ति एवं प्रक्रिया।–(1) अनुसूचित संस्थान के कृत्यों का सम्यक सम्पादन करने के लिए प्राधिकार एक पदाधिकारी नियुक्त करेगा अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद किसी पदाधिकारी को अधिकृत करेगा, जो अनुसूचित संस्थान से संबंधित कार्यों का नियंत्रण एवं सम्पादन करेगा।

(2) अनुसूचित संस्थान के सुगम एवं बेहतर कार्य–सम्पादन हेतु प्राधिकार ऐसा परिनियम बनायेगा जो राज्य की जनता के हित में हो।

(3) प्राधिकार को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय या डिग्री का निष्पादन करते समय प्राप्त रहती है।

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना।

(ख) शपथ–पत्र (एफिडेविट) पर साक्ष्य लेना।

(ग) अपने द्वारा किये गए किसी आदेश का निष्पादन करना या कराना।

(घ) यथा विहित अन्य विषय यदि कोई हो।

(4) प्राधिकार को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने तथा उसे अभिलेख पर प्रथम द्रष्ट्या भूल की स्थिति में, अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने अथवा उसमें रहने वाली गणितीय या लिपिकीय भूलों का सुधार करने की भी शक्ति होगी।

(5) यदि किसी कारणवष अनुसूचित संस्थान में पद रिक्त (अनुपस्थिति को छोड़ कर) हो जाये तो प्राधिकार राज्य सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी की नियुक्ति कर सकेगा ताकि अनुसूचित संस्थान का कार्य सम्यक रुप से संपादित हो सके।

9. अधिकारिता का वर्जन।– प्राधिकार का प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा।

10. शास्ति।– (1) कोई भी व्यक्ति जो–

(क) अनुसूचित संस्थान के या, उससे सम्बन्धित किसी भी संपत्ति आस्ति, लेखा पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, जो उनके कब्जे अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, धारा–5 के उल्लंघन में विहित प्राधिकारी के सुपुर्द करने से रोक लें; या

(ख) दोषपूर्वक ऐसी संपत्ति आस्ति, लेखा–पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का कब्जा प्राप्त कर ले या

(ग) धारा–5 के उपबंधों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से किसी सम्पत्ति, आस्ति, लेखा–पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को छिपा ले, नष्ट कर दे या विलोपित कर दे; या

(घ) जानबूझकर धारा–5 द्वारा यथा अपेक्षित कोई ब्योरा नहीं दे; या

(ङ) धारा–6 की अपेक्षाओं के अनुपालन में ऐसा कोई ब्योरा दे जो मिथ्या हो और उसे जिसे मिथ्या होने की जानकारी हो या विश्वास करने का कारण हो या वह जिसके सत्य होने का विष्वास नहीं करता हो; तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई न्यायालय, सरकार की पूर्वानुमति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

11. नियम बनाने की शक्ति।–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में कुल चौदह दिनों से अन्यून अवधि के लिए हो, रखे जाऐंगे। वह अवधि एक या एक से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी जब तक कि कोई दूसरी तारीख नियत न हो, वे सभी नियम, ऐसे रूपान्तरण या बातिलीकरण के अधीन रहते हुए, जो विधानमंडल के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान उसमें करना चाहें, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगें, किन्तु ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण उनके अधीन पहले किये गये कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले नहीं होगा।

(3) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के ऐसे आदेश द्वारा, जो प्रावधान से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

12. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण।– राज्य सरकार, प्राधिकार अथवा अनुसूचित संस्थान के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए, अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बने किसी नियम या दिये गये आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो।

13. निरसन एवं व्यावृति।– (1) अनुसूचित संस्थान से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिनियम, नियम, परिनियम एवं आदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम, नियम, परिनियम एवं आदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय) पटना में उपलब्ध पुस्तकों से छात्रा, शोधार्थी एवं समाज के सभी वर्गो के नागरिक को लाभ पहुँचाना ताकि उनमें पढने की रूचि पैदा हो एवं ज्ञान–अर्जन हो। यही इस विधेयक का उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(प्रशान्त कुमार शाही)
भार साधक–सदस्य

पटना,
दिनांक 21.04.2015

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 535-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in